

समय सीमा समीक्षा बैठक दिनांक 19.06.2017 का कार्यवाही विवरण।

आज दिनांक 19.06.2017 को समय सीमा बैठक कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में आयोजित हुई जिसमें सभी अपर कलेक्टर एवं नगर के अनुविभागीय दण्डाधिकारी तथा विभाग जिला प्रमुख उपस्थित रहे। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, महिला सशक्तिकरण अधिकारी, उपायुक्त नगर निगम, गृह निर्माण मंडल, एम.पी.आर.डी.सी., खेल विभाग, कृषि विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षा, पुलिस विभाग, पी.डब्ल्यू.डी.सेतु, उपायुक्त सहकारिता, अधीक्षक भू-अभिलेख अनुपस्थित रहे। इन्हें पत्र जारी करने के निर्देश दिये गये।

1. **वृक्षारोपण :-** पूर्व बैठक में निर्देश दिये गये थे कि 2 जुलाई को एवं 2 जुलाई के बाद होने वाले वृक्षारोपण के संबंध में अंतिम प्रतिवेदन बनाया जाकर शासन को भेजा जा चुका है। जबलपुर जिले में जो कि नर्मदा नदी के अधिकांशतः बेसिन में स्थिति है इसलिये वृक्षारोपण और भी महत्वपूर्ण है। जिसमें भूमि की उपलब्धता, पौधों की उपलब्धता तथा जनभागीदारी का समायोजन किया जाकर अंतिम लक्ष्य विभाग वार दिया जा चुका है। वृक्षारोपण के संबंध में वन विभाग अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त जबलपुर के अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई की 26.5 लाख पौधे वृक्षारोपण हेतु तैयार कराये गये हैं। ऐसे पौधे जिनकी उचाई 45 से.मी. से अधिक है की संख्या 16.5 लाख है। पौधों की डिमांड अभी तक विभिन्न विभागों/संस्थाओं से प्राप्त हुई है। इस की जानकारी वन विभाग के अधिकारी द्वारा बैठक में दी गई। साथ ही इनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि इन विभागों द्वारा अग्रिम भुगतान करने की कार्यवाही भी की गई है। उद्यानिकी विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि सरकारी माध्यम के अलावा नियत सरकारी रेट पर जिले की प्राईवेट नर्सरियों से भी पौधे प्राप्त किये जाना है। उनके द्वारा नर्सरी की सूची तथा रेट की जानकारी सभी अधिकारियों को अवगत कराई गई है।

इस बैठक में वृक्षारोपण की पुनः विभागवार समीक्षा की गई जमीनी स्तर पर तैयारी के तहत गड्ढे खोदने की कार्यवाही तथा पौधे क्रय करने हेतु सरकारी तथा निजी नर्सरियों से बुकिंग की जाने हेतु निर्देश दिये गये विभागवार दिये गये लक्ष्य अनुसार तैयारी पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। लक्ष्य पूर्ति हेतु जिला विभाग प्रमुख की जबाबदेही रहेगी। पौधे क्रय करने हेतु प्रथमतः शासकीय नर्सरी फिर उसके बाद निजी अधिकृत नर्सरी जिसकी सूची डी.डी.एच. कार्यालय से वितरित की गई है। वहाँ से पौधे क्रय किये जाये। वृहद वृक्षारोपण हेतु प्रेसनोट जारी किये जाने हेतु योजना मंडल अधिकारी को निर्देश दिये गये। जिले का प्रजेंटेशन जो की शासन को भेजा गया है उसमें लगातार अपडेशन किया जाना है। जिसकी विभागवार समीक्षा की गई अपडेशन हेतु संयुक्त संचालक योजना एवं ओ.आई.सी.ई-गर्वनेंस को निर्देश दिये गये कि वे निर्दिष्ट जानकारी आज शाम तक प्रस्तुत करें।

2. **ग्रेडिंग :-** सभी अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि अपने विभाग की प्रगति पर गंभीरता पूर्वक ध्यान दिया जावे। 30 जून तक इस तिमाही की ग्रेडिंग की जा रही है। अभी तक की प्रगति के अनुसार कृषि सेक्टर में मत्स्य विभाग को छोड़कर शेष सभी विभागों की प्रगति

✓

असंतोषजनक है। शासन के निर्देशों एवं महत्वपूर्ण बैठकों में दिये गये निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। इस पर गहरी अप्रसन्नता व्यक्त की गई। जिला विपणन अधिकारी, उप संचालक पशु चिकित्सा सेवा एवं उपायुक्त सहकारिता जबलपुर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रस्ताव कमिश्नर जबलपुर संभाग, जबलपुर को भेजने के निर्देश श्री संजय गुप्ता, अपर कलेक्टर को दिये गये। शेष सभी अधिकारियों को प्रगति लाने हेतु कड़े निर्देश दिये गये।

3. **सी एम हेल्पलाईन** :- पूर्व बैठक में निर्देशित किया गया था कि सी.एम हेल्पलाईन की विभागवार समीक्षा की गई। मुख्य मंत्री जी की समाधान आन लाईन में संभावित एल-4 स्तर की शिकायतें जो चिन्हांकित की गई है इनके निराकरण के सख्त निर्देश दिए गए। विभिन्न स्तरों पर लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुये कलेक्टर महोदय द्वारा ऐसे अधिकारियों को शिकायतों का तेजी से निपटारा करने की हिदायत दी जिनके विभाग से संबंधित शिकायतें बड़ी संख्या में लंबित है। पी.एच.ई. की सर्वाधिक शिकायतें पाई गई कार्यपालन यंत्री को निर्देश दिये गये तत्काल शिविर लगाये जाकर जन समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जाये। इसके बाद में राजस्व विभाग, आदिवासी विभाग, पशु चिकित्सा विभाग की अधिक शिकायतें दर्ज होना पाया गया। शिकायतों का शीघ्र निराकरण के निर्देश दिये गये।
4. **जनसुनवाई** :- प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाली जनसुनवाई में अब आवेदकों को अपना आधार नम्बर एवं मोबाईल नम्बर देना अनिवार्य होगा। राज्य शासन द्वारा जनसुनवाई में नई व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत जनसुनवाई के आवेदनों को सी.एम. हेल्पलाईन के पोर्टल पर दर्ज किया जा रहा है तथा इनका निराकरण भी सी.एम. हेल्पलाईन के समान किया जाना है। सभी को उक्त संबंध में सकारात्मक तरीके से निराकरण करने के निर्देश दिये गये।
5. **समाधान ऑनलाईन** :- पूर्व बैठक में दिये गये निर्देश अनुसार विभागीय अधिकारीवार जिम्मेदारी नियत की जाकर शतप्रतिशत निराकरण के प्रयास किये जाए। प्रधानमंत्री की वेब साईट पोर्टल पर लंबित शिकायतों की विभागवार समीक्षा की गई। अपेक्षा की जाती है कि किसी भी विभाग का प्रश्न न आए। तेजी से लंबित प्रकरणों का निपटारा किया जाए। तथा प्रत्येक शिकायतकर्ता से बात की जाए। माननीय मुख्य मंत्री जी एवं मुख्य सचिव से सीधे मिलने वाले, तथा प्रमुख सचिव द्वारा ही वे शिकायतें उठाई जाती है जिनका समाधान नहीं हुआ है। तथा सी.एम. हेल्प लाईन से भी शिकायतें समाधान ऑन लाईन में चयन की जाती है। विभागवार समीक्षा की गई। आज ही निराकरण कराए। राज्य शासन एवं पी.एम.ओ. पोर्टल की शिकायतें का त्वरित निराकरण करायें।
6. **स्वच्छ भारत** :- पूर्व बैठकों से लगातार निर्देश दिए जा रहे है कि पूरे भारत में जबलपुर शहर को अंतराष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ भारत अभियान के रूप में चुना गया है इस संबंध में सभी विभाग कार्य करना सुनिश्चित करें। खुले में शौच से मुक्त बनाये जाने हेतु प्रत्येक

✓

क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया जाये। सभी पंचायतों को ओ.डी.एफ. करना है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने अवगत कराया कि ओ.डी.एफ. हेतु अधिकारियों की डियूटी लगाई गई है। कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि अधिकारीगण अनिवार्य रूप से क्षेत्र में जाये। जिला पंचायत की भी इसमें डियूटी लगाने के निर्देश दिये गये। प्रधानमंत्री आवास एवं स्वच्छ भारत की प्रगति ठीक नहीं होने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गई है। प्रगति लाने के निर्देश दिये गये।

7. दिव्यांग :- पूर्व बैठक में निर्देश दिये गये थे कि नवाचार करते हुये दिव्यांगों द्वारा पौधारोपण कराया जाना है तैयारी प्रारंभ हो चुकी है। दिव्यांगों को निराश्रित निधि से पौधे उपलब्ध कराने के निर्देश संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय को दिये गये। उन्हें अच्छी किस्म के तथा स्वस्थ पौधे उपलब्ध कराये जाये। दिव्यांगों की सुविधा के लिये प्रत्येक शासकीय कार्यालयों में रेम्प बनाया जाना अनिवार्य है। सभी शासकीय कार्यालय इससे सुनिश्चित करें एवं पी.डब्ल्यू.डी. इस प्रोजेक्ट पर शतप्रतिशत कार्य पूर्ण करें।
8. नर्मदा की तीनों सहायक नदियां :- पूर्व बैठक में निर्देश दिये गये थे कि इन नदियों के संरक्षण, पर्यावरण पर कार्य किया जाये इनके शुद्धीकरण, प्रदूषण मुक्ति पर कार्य किया जाये अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाये जाने के निर्देश दिये गये। इन नदियों के बेसिन में वृहद वृक्षारोपण किया जाये।
9. अवैध रेत :- जप्तशुदा रेत को उठाने के निर्देश दिये गये। कहीं भी रेत अवैध रूप से भंडारित न रहे तदानुसार सर्व संबंधितों को निर्देश दिये गये। खनिज विभाग अवैध रेत उत्खनन के स्थलों पर सतत् निगरानी रखते हुये कार्यवाही करे। खनिज अधिकारी एवं सर्व एस.डी.एम. को निर्देश दिये गये कि ऐसे वाहनों को राजसात किया जाये जो नदी में पाये जाते हैं। इस की मानिटिरिंग अपर कलेक्टर ग्रामीण करेंगे।
10. विधायक निधि :- विधायक निधि की राशि संबंधित विभागों को समय पर वितरित कराने की जिम्मेदारी जिला योजना अधिकारी की है। ई.ई. आर.ई.एस. ने बैठक में जानकारी दी है कि विधायक निधि उनके विभाग को आबंटित नहीं की गई है। पूर्व वर्ष में भी उक्त राशि लेप्स हो गई थी। जिला योजना अधिकारी को निर्देश दिये गये कि तत्काल विधायक निधि की राशि वितरित की जाये। अन्यथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
11. योग दिवस :- पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष भी योग दिवस 21 जून, 2017 को आयोजित हो रहा है उसकी तैयारी की समीक्षा की गई। स्कूल शिक्षा विभाग इस वृहद कार्यक्रम का नोडल विभाग है। जिला शिक्षा अधिकारी की जगह उपस्थिति हुये श्री घनश्याम सोनी से तैयारी के संबंध में जानकारी ली गई। उन्हें निर्देश दिये गये कि प्रेस नोट जारी किया जाये, आमंत्रण पत्र समय पर भेजे जाये तथा सर्व संबंधितों से सहभागिता बढ़ाने के प्रयास

✓

तत्काल किये जाये। शासन के निर्देशों का पालन किये जाने हेतु सभी अधिकारियों को निर्देश दिये गये।

12. नालो की साफ-सफाई :- शहर के सभी नालों की साफ-सफाई कार्य के निरीक्षण हेतु सभी एस.डी.एम. को निर्देश दिये गये।
13. अनुकंपा नियुक्ति :- अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु सर्व संबंधितों को डी.ओ. भेजे जाने के निर्देश अपर कलेक्टर प्रथम को दिये गये।
14. जी.एस.टी. :- 24 जून को प्रस्तावित जबलपुर बंद के औचित्य के संबंध में संबंधित प्रतिनिधि मंडल से तत्काल चर्चा की जाये। तदानुसार निर्देश अपर कलेक्टर प्रथम को दिये गये।
15. आर.आई. की बैठक :- आर.आई. की समीक्षा बैठक आयोजित की जाने हेतु निर्देश अपर कलेक्टर तृतीय को दिये गये।

जनप्रतिनिधियों, कमिश्नर कार्यालय, लोकायुक्त तथा आर्थिक अपराध ब्यूरो, मानव अधिकार आयोग तथा अन्य विभागों की शिकायतों एवं समय सीमा के प्रश्नों की विभागवार समीक्षा की गई। निर्देश दिए गए कि ऐसी शिकायतों पर गंभीरता दिखाई जाए।

उक्त निर्देशों के साथ मीटिंग सधन्यवाद समाप्त की गई।


कलेक्टर
जबलपुर

पृ.क्र/ ⁴⁷⁰⁵ /अधीक्षक/टी.एल/2017

जबलपुर दिनांक 20 जून, 2017.

प्रतिलिपि :-

1. कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर।
2. जिले के समस्त विभाग प्रमुख को सूचनार्थ पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


कलेक्टर
जबलपुर